संख्या-466/2016/6372जेएल/22-3-16-200(3)/2016

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
आदर्श कारागार,
लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 01 दिसम्बर, 2016***

विषय- नारी बंदी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध महिला बंदियों को स्वीकृत 15 दिन के गृह अवकाश की अवधि में 15 दिन की वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-324/2016/4602जेएल/22-3-16-200(3)/2016, दिनांक 29-08-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश के क्रम में निम्नलिखित महिला बंदियों द्वारा किये गये अनुरोध पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उनको पूर्व स्वीकृत 15 दिन के गृह अवकाश में अग्रेतर 15 दिन की वृद्धि एतदद्वारा स्वीकृत की जाती है :-

क्र0स0	महिला बंदी का नाम/पति/पिता का नाम	निवासी जनपद	महिला बंदी संख्या
1	नन्हका देवी पत्नी श्री रामकिशोर दुबे	अम्बेडकरनगर	917
2	माया देवी पत्नी श्री नारायन लाल	पीलीभीत	1387
3	सुनीता देवी पत्नी श्री उमाशंकर	पीलीभीत	1384
4	अमृती देवी पत्नी श्री रामस्वरूप	पीलीभीत	1385
5	बिब्बी पत्नी मो0 हुसैन	कानपुर नगर	459

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या-466/2016/6372जेएल(1)/22-3-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in